आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 35 / 2019-राज्य कर

शिमला-2, 20 अगस्त, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.—एफ(10)—16/2017.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 21/2019—राज्य कर तारीख 30 मई, 2019 जो सं0 ई.एक्स.एन.—एफ(10)—4/2019 के तहत तारीख 3 जून, 2019 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:——

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, परंतुक में "31 जुलाई, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 अगस्त, 2019" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे

> आदेश द्वारा, संजय कुंडू प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.——मूल अधिसूचना सं0 21/2019—राज्य कर तारीख 30 मई, 2019 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 3 जून, 2019 को संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ(10)—4/2019 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा तदोपरान्त हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.—एफ(10)—15/2019 के तहत तारीख 07—8—2019 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 34/2019—राज्य कर तारीख 03 अगस्त, 2019 के द्वारा संशोधित की गई थी।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-16/2017 dated 20-08-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 35/2019-State Tax

Shimla-2, the 20th August, 2019

No. EXN-F(10)-16/2017.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 21/2019-State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-4/2019, dated the 3rd June, 2019, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, in the proviso, for the figures, letters and words "31st day of July, 2019", the figures, letters and word, "31st day of August, 2019" shall be substituted.

By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).